भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0–19/2014–15

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट

बनाम्

बास्की भगत

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

आदेश

16.5.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक– 492/रा0, दिनांक–14/11/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– पोड़ैयाहाट, थाना नं0– 121, खाता सं0–75, खेसरा सं0–1585, हल्का सं0–07, रकवा–00–03–00 धुर जमीन जो खतियान में मूल जमाबंदी रैयत मानसिंह मुर्मू वो मरांग मुर्मू वो जटा मुर्मू वो गरभू मुर्मू वो राम मुर्मू, पे0–दशरथ मुर्मू, साकिन– पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री बास्की भगत, पिता– नामालूम द्वारा खेसरा सं0–1585, रकवा–00–03–00 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री बास्की भगत, साकिन–दुर्गापुर द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है। श्री बास्की भगत द्वारा अपना पक्ष रखने में अभिरूचि नहीं लिया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, पोड़ैयाहाट अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित। 16.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

16.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

(हस्ताक्षर) 20/5/17